उपखण्ड अधिकारी
लालसोट जिला दौसा (राज०

अज अदालत– उपजिलाधीश लालसोट जिला –दौसा।

पीठाशीन अधिकारी : गोपाल जांगिड़ (आर.ए.एस.)
राजस्व वाद संख्या : 11/2012
प्रविष्ठ दिनांक : 16–04–2012

1. बिहारीलाल पुत्र रामकुंवार
2. पूनीराम पुत्र मेवा (मृतक)
2/1 कमलेश पुत्र पूनीराम
2/2 कम्बो देवी पत्नी पूनीराम
2/3 मोत्या
2/4 फूला
2/5 पाना देवी — पुत्रीयान् पूनीराम
2/6 धनबाई
2/7 अनिता
2/8 छोटा बाई
3. लक्ष्मीनारायण
4. छोटूलाल — पि0 मेवा
5. रामराज
6. मु0मंगली देवी बेवा मेवा
7. शान्ति — पुत्रीयान् मेवा
8. लच्छी
9. किशनलाल
10. रामकेश — पि0 तुलसीराम
11. हरकेश
12. मु0 कजोडी बेवा तुलसीराम
13. कनाराम — पि0 भौरीलाल
14. कैलाश
15. मु0मूली देवी बेवा भौरीलाल

समस्त जाति माली
निवासी बड़वाली ढाणी
ग्राम राजौली तह0 लालसोट
जिला दौसा (राज0)

(वादीगण)

उपखण्ड अधिकारी
लालसोट जिला दौसा (राज०

बनाम्

1. तेजाराम पुत्र श्रवण (मृतक)
1/1 पप्पू पुत्र तेजाराम
1/2 नाथी | पि0 तेजाराम
1/3 बच्ची |
2. ग्यारस्या पि0 श्रवण
3. हजारी
4. रमसी पुत्र कजोड़
5. शम्भूलाल पुत्र रेवडया
6. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार लालसोट जिला–दौसा (राज0)

(प्रतिवादीगण)

दावा अधिघोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा व दुरूस्ती इन्द्राज

(अ0धा0 88 व 188 रा0का0अधि0 व धारा 136 एल.आर.एक्ट.)

उपस्थित :–वादीगण की ओर से – श्री कमलेश सैनी अधिवक्ता
प्रतिवादीगण की ओर से – प्रति0 सं01 लगायत 5 की ओर से श्री रामकेश सैनी
प्रति0 सं06 एकतरफा कार्यवाही

दिनांक: 01/02/2021

निर्णय

वादीगण की ओर से यह वाद इस न्यायालय में पेश किया जिसमे कथन किया गया कि आराजी भूमि खसरा नम्बर 124 रकबा 17 बिस्वा वाकै ग्राम राजौली तहसील लालसोट जिला दौसा में स्थित है। उक्त भूमि वादीगण की पैतृक भूमि हैं तथा वाद पत्र में सजरा खानदान वर्णित किया गया। उक्त भूमि वादीगण के पूर्वज रामकुंवार पुत्र नहन्या की खातेदारी व आधिपत्य की भूमि रही है। रामकुंवार के स्वर्गवास के पश्चात्

उपखण्ड अधिकारी
लालसोट जिला दौसा (राज0

उनकी विरासत गलत प्रकार से प्रतिवादी सं01 लगायत 5 के मौरूसी आलाओ श्रवण, कजोड व रैवड़या के नाम राजस्व ऐजेन्सी द्वारा बिना वास्तविक वारिसान की जांच किये कर दिया जो प्रथमतः ही अवैध एवं प्रभावशून्य है। उक्त आराजी भूमि पर वादीगण का अपने पूर्वजो के समय से कब्जा काश्त चला आ रहा है। उक्त भूमि वादीगण की अन्य खातेदारी व आधिपत्य की भूमि में पूर्व से मिली हुई है तथा वाद कारण दिनांक 10-03-2012 को उत्पन्न होकर अनुतोष चाहा गया कि विवादित भूमि के वादीगण खातेदार व काबिज काश्तकार हैं जिसमे वादी संख्या 1 हिस्सा 1/4, वादी संख्या 2 लगायत 8 हिस्सा 1/4, वादी संख्या 9 लगायत 12 हिस्सा 1/4 तथा वादी संख्या 13 लगायत 15 हिस्सा 1/4 के खातेदार एवं काबिज काश्तकार हैं तथा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 का उक्त भूमि में कोई हक हिस्सा अधिकार शेष नहीं हैं तथा तदानुसार राजस्व अभिलेख के वर्तमान इन्द्राजात श्रवण, कजोड़ व रैवड़या के गलत अंकन को विलोपित फरमाकर उसके स्थान पर तदानुसार वादीगण के नाम का बतौर खातेदार इन्द्राजात कर इन्द्राज दुरूस्ती किया जावे तथा प्रतिवादी को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से सदैव के लिए पाबंद किया जावे। वाद पत्र पेश होने पर दिनांक 16-04-2012 को दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये जिस पर दिनांक 16-07-2012 को प्रतिवादी सं01 लगायत 5 की ओर से उनके अधिवक्ता उपस्थित आये एवं पत्रावली जवाब हेतू नियत की गई तथा दिनांक 17-09-2013 को जवाब हेतू अंतिम अवसर दिया इसी प्रकार दिनांक 03-06-2014, 19-06-2014, 14-10-2019 को भी जवाब हेतू अन्तिम अवसर दिया एवं दिनांक 18-10-2019 को 300/-रूपये कोस्ट पर अवसर दिया तत्पश्चात् बारंबार जवाब हेतू अवसर दिये जाने के पश्चात् भी

उपखण्ड अधिकारी
लालसोट जिला दौसा (राज०

जवाब दावा पेश नहीं करने पर दिनांक 22–10–2019 को जवाब दावा बंद किया गया तथा प्रकरण में प्रतिवादी पक्ष की ओर से कोई प्रत्युत्तर पेश नहीं करने के कारण पत्रावली साक्ष्य वादी हेतू नियत की गई जिस पर प्रकरण में दिनांक 29–07–2020 को साक्ष्य वादी हेतू गवाहान के शपथ पत्र पेश किये गये जिन पर प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा जिरह नहीं करने पर जिरह बंद की जाकर दस्तावेजात को प्रदर्शित किया गया।

वादीगण की ओर से अपने वाद पत्र के समर्थन में साक्षी कैलाश पी.डब्ल्यू.1, रामराज पी.डब्ल्यू.2, रामजीलाल पी.डब्ल्यू.3, पूनीराम पी.डब्ल्यू.4, रामसहाय पी.डब्ल्यू.5 के मुख्य शपथ पत्र पेश कर परीक्षित कराया गया एवं प्रलेखीय साक्ष्य में जमाबंदी सम्वत् 2063 से 2066 प्रदर्श 1, जमाबंदी सम्वत् 2038 से 2041 प्रदर्श 2, नामान्तकरण संख्या 71 प्रदर्श 3, खतौनी संवत 2034 से 2037 प्रदर्श 4 पेश कर प्रदर्शित करवाया गया। साथ ही ग्राम पंचायत का प्रमाण पत्र अपनी खातेदारी भूमि की जमाबंदी, नक्शा व न्यायालय की अन्तिम डिक्री पेश की गई।

दौराने सुनवाई वादी संख्या 2 व प्रतिवादी सं01 फौत होने पर उनकी कायम मुकामान के प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर संशोधित उनवान शामिल पत्रावली किया गया। बहस उभय पक्ष सुनी गई। पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया तथा प्रकरण में दस्तावेजीय एवं मौखिक साक्ष्य का अध्ययन एवं मनन किया गया। वादी पक्ष की ओर से प्रकरण में अपनी बहस के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टान्त पेश किये गये।

1. 2016(1) सिविल कोर्ट केसेज पेज 623 सुप्रीम कोर्ट
2. 2014 (4) सिविल कोर्ट केसेज पेज 415 सुप्रीम कोर्ट

उपखण्ड अधिकारी
लालसोट जिला दौसा (राज०

प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तो का सम्मानपूर्वक अध्ययन एवं मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट हैं कि प्रतिवादीगण की ओर से अपनी प्रतिरक्षा में कोई भी उज्रात जवाब दावा पेश नहीं किया गया हैं। तथा वादी अधि0 द्वारा दौराने बहस कथन किया कि वादीगण द्वारा अपने वाद पत्र में कथन किया हैं कि आराजी भूमि ख0नं0 124 रकबा 17 बिस्वा वाकै ग्राम राजौली तहसील लालसोट में स्थित हैं। उक्त भूमि वादीगण के पूर्वज रामकुंवार की खातेदारी व आधिपत्य की भूमि रही हैं तथा रामकुंवार की मृत्यु के उपरान्त उक्त भूमि प्रतिवादी सं01 लगायत 5 के मौरूसी आला श्रवण, कजोड व रेवडया के नाम गलत प्रकार से लग गई जो गलत एवं अविधिक हैं। उक्त भूमि पर वादीगण अपने पूर्वजो के समय से अनवरत काबिज चले आ रहे हैं तथा अपने हक में अनुतोष के रूप में उद्घोषणा चाही गई कि वादीगण विवादित भूमि के खातेदर व काबिज काश्तकार हैं तथा प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करवाने का भी कथन किया गया। प्रतिवादीगण की ओर से जवाब दावा पेश नहीं किया न ही कोई दस्तावेजीय एवं मौखिक साक्ष्य पेश की गई। तथा प्रकरण में उभय पक्ष द्वारा राजीनामा भी पेश किया गया। विधि अनुसार प्रतिवादी पक्ष की ओर से कोई आपत्ति उज्रात पेश नहीं किये गये तो वादीगण के कथनो की सत्यता पर संदेह नहीं किया जा सकता हैं। इस बाबत् वादी पक्ष अधिवक्ता की ओर से मान्य सुप्रीम कोर्ट द्वारा आदेश 8 नियम 5 सी.पी.सी. बाबत् पारित व्याख्या पेश की गई हैं जो प्रकरण के तथ्यो व परिस्थितियो से मेल खाती हैं। प्रकरणो में प्रस्तुत वादीगण की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजीय एवं मौखिक साक्ष्य पर **अविश्वास** करने का कोई भी कारण नहीं हैं। तथा धारा 17 भा0सा0अधि0 अनुसार प्रतिवादी की स्वीकारोक्ति भी हैं। तथा वादीगण की मौखिक एवं दस्तावेजीय साक्ष्य के विरूद्ध पत्रावली

उपखण्ड अधिकारी
लालसोट जिला दौसा (राज०

में प्रतिवादी पक्ष की ओर से कोई भी मौखिक व दस्तावेजीय साक्ष्य पेश नहीं की गई जिससे विधि अनुसार वादीगण की मौखिक व दस्तावेजीय साक्ष्य पर अविश्वास करने का कोई कारण मौजूद नहीं हैं एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजीय साक्ष्य जो राजस्व रिकार्ड की प्रमाणित प्रतियोज जो वादीगण के वाद पत्र में वर्णित कथनो का पूर्ण समर्थन करती हैं पर किसी प्रकार का संदेह नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार वादीगण द्वारा अपने वाद पत्र में वर्णित कथनो को अपनी दस्तावेजीय एवं मौखिक साक्ष्य से बखूबी प्रमाणित किया गया हैं तथा प्रकरण में वादीगण द्वारा अपने वाद पत्र में वर्णित तथ्यो को अपनी दस्तावेजीय एवं मौखिक साक्ष्य से बखूबी साबित किया गया हैं जिसे मद्देनजर रखते वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर वादीगण को विवादित आराजी भूमि का खातेदार व काबिज काश्तकार घोषित किया जाकर प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक हैं।

आदेश

अतः वादीगण की ओर से प्रस्तुत वाद पत्र बाबत् अधिघोषणा स्वीकार किया जाकर आराजी भूमि ख0नं0 124 रकबा 17 बिस्वा वाकै ग्राम राजौली तहसील लालसोट जिला दौसा में वादी सं01 को हिस्सा 1/4 वादी संख्या 2 लगायत 8 को हिस्सा 1/4 वादी सं09 लगायत 12 को हिस्सा 1/4 तथा वादी सं013 लगायत 15 को हिस्सा 1/4 का खातेदार व काबिज काश्तकार घोषित किया जाता हैं उक्त भूमि के वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज श्रवण, कजोड़ पि. रामकुंवार व रेवडया पुत्र शम्भू कौम माली के अंकन को विलोपित कर वादीगण को उक्त हिस्सेनुसार खातेदार व काबिज काश्तकार दर्ज कर इन्द्राज दुरूस्ती करने हेतू आदेशित किया जाता हैं तथा प्रतिवादी सं01 लगायत 5 को

उपखण्ड अधिकारी
लालसोट जिला दौसा (राज०

जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से सदैव के लिए पाबंद किया जाता हैं कि वे वादीगण के कब्जे काश्त में किसी भी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करे न करावे। तदानुसार राजस्व अभिलेख में पालना उपरोक्तानुसार करने हेतू तहसीलदार लालसोट को आदेश दिया जाता हैं। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो। तहसीलदार लालसोट को पालना हेतू निर्णय व डिक्री की प्रति के साथ तहरीर जारी हो।

उपखण्ड अधिकारी
लालसोट जिला दौसा (राज०

गोपाल जांगिड़ आर.ए.एस.
उपखण्ड़ अधिकारी
लालसोट जिला दौसा

निर्णय आज दिनांक०१/०२/२०२१ को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
लालसोट जिला दौसा (राज०

गोपाल जांगिड़ आर.ए.एस.
उपखण्ड़ अधिकारी
लालसोट जिला दौसा